राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4255/2022

सुनिल कुमार जाखड —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बडागांव, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बडागांव, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बडागांव, झुंझुनू से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओसिया, जोधपुर 400 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी को अधिशेष के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 746/2022 प्रस्तुत की गई जिसकों आदेश दिनांक 10.03.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपील को निस्तारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की कोई सहमति नहीं ली गई, जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन है तथा विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी के हक में उचित आदेश पारित करावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपील के इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 (अनुलग्नक–2) से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बडागांव, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में पुष्पा बुगालिया नर्स–2 के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था फिर विभागीय आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा पुष्पा बुगालिया का पदस्थापन यथावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बडागांव, उदयपुरवाटी, झुंझुनू में किया गया। इस प्रकार पुष्पा बुगालिया का यथावत पदस्थापन हो जाने से अपीलार्थी के अधिशेष नहीं होने की स्थिति प्रमाणित नहीं होती है। अपीलार्थी का मुख्य आक्षेप है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है। प्रकरण से संबंधित रिकार्ड, तथ्यों एवं संबंधित आदेशों/निर्देशों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकःप. 11(1)मं.मं./2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उसके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) के अनुसार स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 में यह माना गया है कि "as the Division Bench has approved the transfers, on account of consent granted by the Minsiter for Medical and Health Services, Government of Rajasthan, who has been given independent charge of Medical and Health services under the Panchayati Raj Department, which has been held as sufficient, the same would suffice." ..... "Further, the said consent can only suffice in cases of inter-district transfers in terms of Rule 8(iii) of the Rules of 2011, which requires consent of the Panchayati Raj Department for effecting inter district transfers."

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबीयार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 में यह माना गया है कि "that The respondents are under obligation to comply with the provisions of Rule 8(iii) of the Rules of 2011 and are required to specifically seek approval of the concerned minister, even if the minister is same for both the Departments"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में पारित आदेश दिनांक

17.08.2022 में राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना जाकर राज्य सरकार की अपील स्वीकार की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10796/20022 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 में पारित आदेशों में यह माना गया है कि राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानांतरणों के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी॰बी॰ स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में यह निर्णीत नहीं किया गया है कि प्रत्येक आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह अनिवार्य (Mandatory) रूप से लिखा ही जावे कि पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा डी बी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में प्रत्येक आलोच्य स्थानांतरण आदेश में पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में प्रत्येक स्थानांतरण आदेश में उल्लेख किए जाने के निर्देश नहीं है, वरन् उक्तानुसार मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना पर्याप्त माना है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अपीलार्थी द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आलोच्य आदेश के संबंध में पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास ही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य